



अध्यापकों की अध्येता बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन

प्रिया राय

शोधार्थी, शिक्षा संकाय, पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर

डॉ. कौशिक वी. पण्डया

प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर

Paper Received On: 21 August 2024

Peer Reviewed On: 25 September 2024

Published On: 01 October 2024

प्रस्तावना -

अध्यापक एवं समाज का चोली-दामन का सम्बन्ध है। अध्यापक का समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अध्यापक ही नये नागरिकों का एक तरह से निर्माण करते हैं, जिनमें कालान्तर में नये समाज का जन्म होता है। इस तरह वर्तमान समाज एवं भविष्य में बनने वाले दोनों सामाजिक घटकों से ही शिक्षक का प्रभावी सम्बन्ध है। इसी कारण शिक्षक की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है।

प्राचीन कालीन शिक्षा में आध्यात्मिकता पर विशेष बल था। शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास, सुयोग्यता, सच्चरित्र, सात्विक वृत्ति शिक्षकों के माध्यम से ही सम्भव थी। उन अध्यापकों के मूल में सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का दीपक प्रज्वलित था, फलस्वरूप समाज में अध्यापक का चयन, उसके व्यवहार की प्रभावशीलता तथा समाज के विकास में उसके कार्यों की भूमिका विशिष्ट मिशाल के रूप में होती थी। आदिकाल से लेकर आज तक अध्यापक की भूमिका, उसके कार्य, उसकी जबाबदारी एवं समाज की उसके प्रति अपेक्षा आदि तथ्यों में अधिक तेजी से परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अब इस परिवर्तन की दिशा बदलकर भौतिकता पर केन्द्रित हो गई है।

शैक्षणिक उपलब्धियाँ किसी कक्षा विशेष में विद्यार्थियों ने कितनी मात्रा में ज्ञानार्जन या प्रगति की है, का उल्लेख करती हैं इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने कहा है कि “जब हम शैक्षिक उपलब्धि को जानना चाहते हैं तब इस बात को निश्चित करने में रुचि रखते हैं कि एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा है।”

इस प्रकार शोधकर्ता ने अध्यापकों की अध्येता बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्येता उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर सोचा कि -

अध्यापक-अध्यापिकाओं की अध्येता के बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में क्या अन्तर है? अध्यापक-अध्यापिकाओं की अध्येता के बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्येता उपलब्धि के साथ क्या सम्बन्ध है? उक्त सभी प्रश्नों के समाधान हेतु भाोधकर्ता ने **“अध्यापकों की अध्येता बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्येता उपलब्धि पर प्रभाव”** विषय पर शोध करने का निर्णय लिया।

अध्ययन का महत्व :-

जिस प्रकार बालकों का पालन-पोषण या देखभाल की जायेगी, उसी के अनुरूप उनका विकास सम्भव है। यदि बालक को उचित वातावरण एवं समुचित जीवनोपयोगी सुविधाएँ प्रदान की जाये तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा तथा मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बालकों का विकास न केवल एक राष्ट्र बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए हितकर सिद्ध होता है, क्योंकि आज का बालक भविष्य का एक जिम्मेदार नागरिक होता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए मूलभूत आव यकताओं की पूर्ति होना अति आवश्यक है। भोजन, वस्त्र तथा आवास जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अति आव यक भी है।

बालक जिस प्रकार के परिवार में रहता है वह उसका प्रत्यक्षीकरण करता है तथा प्रत्यक्षीकरण की क्रिया द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जिन परिवारों की सुख-शान्ति, परिवारिक कलह, मतभेद, पृथक्करण तथा तलाक आदि कारणों से भंग हो जाती है उन परिवारों के बच्चे अधिक शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते हैं। जो माता-पिता अपने बच्चों के सुख-दुख में प्रतिभाग करते हैं तथा उनके साथ आनन्दमयी, समय व्यतीत करते हैं उनके बच्चों की अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने की संभावना रहती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि भारत वर्ष में जो माता-पिता निर्धन व शिक्षित हैं वे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, वे अनुभव करते हैं कि बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व उन्हें स्कूल में प्रवेश कराने पर ही समाप्त हो जाता है। बच्चों की शिक्षा पर उचित ध्यान न देने के कारण उनकी शैक्षिक प्रक्रिया असफल होने लगती है फलस्वरूप उनकी उपलब्धि प्रभावित होती है। जो बालक घर से अनिच्छापूर्वक स्कूल जाता है या धकेला जाता है, वह बालक संवेदन शून्य रहता है। इससे बालक की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर निम्न रहता है।

उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने अध्यापकों की अध्येता बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्येता उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार का अध्ययन कार्य आज तक बहुत ही कम हो पाया है।

अध्ययन का औचित्य :-

वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व में बालकों से जुड़ी विभिन्न समस्याएँ हमारे समक्ष विद्यमान है। बालकों के विकास के लिए आव यक है उनसे सन्दर्भित समस्याओं को प्रत्येक व्यक्ति समझकर समाधान करने के प्रयास करे। बच्चें भविष्य के निर्माता होते हैं और यदि निर्माता ही समस्याग्रस्त हो तो हम समाज के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करें, यह असम्भव सा प्रतीत होता है।

दुनियाभर में आज बालकों की समस्या को जानने, समझने एवं उनके निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिये आवश्यक है समाज एवं राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का रवैया इसके प्रति सकारात्मक हो तथा इनके पक्ष में प्रयास करने की प्रवृत्ति जागृत हो इसके लिए आवश्यक है अध्यापक वर्ग इसके प्रति सचेत हो।

पूर्व में हुए अध्ययनों के अतिरिक्त इस दिशा में अलग-अलग चरों पर अनेक अध्ययन सम्पादित हुए, लेकिन “अध्यापकों की अध्येता बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्येता उपलब्धि पर प्रभाव” विषय पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। यह कार्य एक नवाचार शैक्षिक लक्ष्य पर विद्यालय उपयोगी, समाज उपयोगी, अध्यापक उपयोगी एवं विद्यार्थियों के लिए फलदायी होगा, जिससे हम अध्यापकों की अध्येता बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति के स्तर का पता लगाने एवं इस अभिवृत्ति का अध्येता उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, का पता लगाने में सफल हो सकेंगे। किसी भी अध्ययन की सार्थकता उसकी आवश्यकता के स्वरूप एवं उपयोगितात्मक पहलुओं पर निर्भर करती है। साथ ही इस संदर्भ में यह देखा जाता है कि अध्ययन समाज को क्या नई दिशा देने वाला है। उपर्युक्त मानक रूपी दृष्टिकोण को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है, क्योंकि बाल अधिकार आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

समस्या कथन :-

“अध्यापकों की अध्येता बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्येता उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन”।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. अध्येता के बाल अधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. अध्येता के उपलब्धि स्तर का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :-

1. अध्येता के बाल अधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. अध्येता के उपलब्धि स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

न्यादर्श :-

प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान राज्य के झुंझनू जिले के माध्यमिक स्तर के 100 अध्यापकों तथा 500 अध्येताओं को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

शोधविधि :-

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसंधान की यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त निश्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय होते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण :-

बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति मापनी :-

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित बाल अधिकार मापनी का प्रयोग किया गया है।

अध्येता उपलब्धि मापनी :-

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा अध्येताओं की उपलब्धि देखने के लिए विगत वर्ष के परीक्षा परिणाम की दत्त तालिका का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान (M), प्रमाणिक विचलन (SD) एवं C.R. Value की गणना की जायेगी।

समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण :-

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्ता ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है -

सारणी संख्या - 1

अध्येता के बाल अधिकारों के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्ति के फलांको के सम्बन्ध में मध्यमान अन्तर की सार्थकता

अध्यापक	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रांतिक अनुपात मान (C.R..Val ue)	सार्थकता स्तर .05 .01
पुरुष अध्यापक	50	18.71	5.82	3.05	सार्थक अन्तर हैं।
महिला अध्यापक	50	19.25	4.25		


(df=N₁+N₂-2=150+150-2=298)

विश्लेषण :-

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्राप्त मान तालिका मान से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात् अध्येता के बाल अधिकारों के प्रति पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

आरेख संख्या - 2

अध्येता के उपलब्धि स्तर के फलांको के सम्बन्ध में मध्यमान अन्तर का दण्डारेखीय प्रदर्शन



प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता :-

शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में निरन्तर अन्वेषण के परिणामस्वरूप समाज में एक नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। शिक्षा जगत में निरन्तर अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को निश्चित रूप से परिभाषित करके उनके निराकरण का मार्ग दिखाया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध कार्य में विद्यार्थियों के स्वयं अपने अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति को जानकर उन्हें इसके प्रति जागरूक करने हेतु अभिप्रेरित करने का एक सूक्ष्म प्रयास किया गया है। साथ ही अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर संरचनात्मक परिवर्तन को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया जा सकेगा। वर्तमान समय में विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज के विभिन्न वर्गों को बालकों के अधिकारों को प्रति संवेदनशील व सकारात्मक होने की आवश्यकता है। सम्भवतः इस प्रकार के शोध कार्य इस क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य करेंगे।

शोधकर्ता इस प्रकार की समस्याओं पर भविष्य में निरन्तर कार्य करने का प्रबल इच्छुक है। शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर उर्ध्वगामी विकास हो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का पहचान कर उनके कारणों एवं तथ्यों की खोज की जाये। शोधकर्ता को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध कार्य से बालकों के प्रति विद्यालय, समाज, घर-परिवार सभी स्तरों पर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास सम्भव होगा।

हिन्दी संदर्भ साहित्य

अग्रवाल, उमेशचन्द्र, :- "उपेक्षित बचपन" समसामयिकी महासागर, जनवरी 2009

अरोड़ा, रीता, :- "शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर

अस्थाना, विपिन, :- "मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

भट्टाचार्य, जी.सी., :- "अध्यापक शिक्षा" विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, नवम संस्करण, पृ. सं. - 95

ओड़, एल.के. :- "शैक्षिक प्रशासन" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर,